28/2/22

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी ने अपना वाद अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर राजस्व ग्राम ... खसरा सं० 81 ... खसरा सं० 95, 96, 97 जो राजस्व के नक्शे में व अभिलेख में ... है में से ... खसरा सं० 96 ... की प्रविष्टी ... के नक्शा में अंकन को गलत रूप से हटाया जाकर उसका नक्शा पूर्वानुसार अंकित करने की रिलीफ चाही है। जबकि उक्त रिलीफ धारा 136 के तहत प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः उक्त धारा के अन्तर्गत वादी का वाद पोषणीय नहीं है। वादी चाहे तो सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक ... का वाद पेश कर रिलीफ प्राप्त कर सकता है। अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद ... होकर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner